कश्मीर के हथकरघा उत्पाद विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं और सरकार इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रही है।
—पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

कश्मीर में हिंसा रोकने में विफल हो गई है मोदी सरकार।
—राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

संक्षिप्त खबरें

आईआईटी दिल्ली में ऊर्जा अभियांत्रिकी में बीटेक कोर्स की शुरुआत

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग ने ऊर्जा आभियांत्रिकी में बीटेक पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह घोषणा की। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जी) एडवांस्ड 2021 में उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थी कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। यह पाठ्यक्रम 2021-22 सत्र से शुरु होगा जिसमें 40 सीट होंगी। आईआईटी, दिल्ली में ऊर्जा विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख के ए सुब्रमण्यमन ने कहा कि ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी अनेक चुनौतियों पर आवश्यक दूरदर्शिता के साथ समग्र तरीके से ध्यान देने की क्षमता के साथ मानव संसाधन विकसित करना आवश्यक है।

नई दिल्ली से पटना के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 23 से

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 01664/01663 नई दिल्ली से 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर के बीच प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और वृहस्पतिवार को चलेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से 24 अक्टूबर से 21 नवम्बर के बीच प्रत्येक रविवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। मार्ग में यह सुपरफास्ट विशेष ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा तथा दानापुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भाजपा उपाध्यक्ष और प. बंगाल से सांसद दिलीप घोष व अन्य। *फोटो : लेखराज*

निर्माण कार्य में मानदंडों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : गोपाल राय

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण एजेंसियों से मानदंडों का पालन करते हुए विकास कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने सभी से अपील करते हुए कहा कि निर्माण एजेंसियां मानदंडों का पालन करते हुए विकास कार्य करें। डीपीसीसी की टीमों ने अब तक 1105 निर्माण स्थलों का दौरा किया है। इस दौरान 286 निर्माण स्थलों पर मानदंडों का उल्लंघन पाए जाने पर करीब 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि डीपीसीसी की टीमों को मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण का संकट आने की संभावना है, उससे उन्हें बचाने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। सभी एजेंसियां निर्माण कार्य से संबंधित दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विकास कार्य करें, ताकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके।

- डीपीसीसी की टीमों ने 286 निर्माण स्थलों पर अनियमितता मिलने पर 90 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

उन्होंने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अब तक डीपीसीसी की टीमें 1105 अलग-अलग निर्माण स्थलों का दौर कर चुकी हैं। 286 निर्माण स्थलों पर मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। जिन निर्माण स्थलों पर मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है, उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और लगभग 90 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। सभी टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धूल प्रदूषण करने वाली हर एक एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण पैदा करने वालों की शिकायत करने के लिए ग्रीन दिल्ली एप लांच किया है, ताकि लोगों कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण होता देंखे, तो उसकी शिकायत एप के जरिए सरकार से कर सकें। एप पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

सरकार धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान चला रही है। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए 31 टीमें बनाई गई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही है कि कौन-कौन निर्माण एजेंसियां सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रही है और अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी कर रही है। टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

'अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाए बांग्लादेश सरकार'

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा ने बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कड़ा कदम उठाने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान भाजपा उपाध्यक्ष और प. बंगाल से सांसद दिलीप घोष ने प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में हो रही हिंसा की घटनाओं पर उनकी चुप्पी संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उस समय इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए थे और इसे नियंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने बांग्लादेश की आजादी में अहम योगदान दिया है। बांग्लादेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वहां सुरक्षित रहें।

दिल्ली मेट्रो से प्रशिक्षण लेकर ढाका में चलाएंगे मेट्रो

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली मेट्रो ने वर्ष 2002 में जब मेट्रो सेवाओं की शुरुआत की थी तो उसने अपने अधिकारियों और स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए हांगकांग भेजा था, लेकिन आज उसी मेट्रो ने ढाका (बांग्लादेश) मेट्रो के आपरेशंस और रखरखाव विभाग के पहले बैच के अधिकारियों को शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी (डीएमआरए) में प्रशिक्षण की शुरुआत कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ओर से मंगलवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ढाका मेट्रो के कोर स्टाफ और अधिकारियों के पहले बैच के 19 ऑपरेशन और 17 रोलिंग स्टॉक अधिकारी शामिल हैं।

- ढाका मेट्रो के अधिकारियों ने शुरू की पहले बैच की ट्रेनिंग
- अधिकारियों व स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए भेजा था हांगकांग

डीएमआरए में 14 अक्टूबर से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उस समझौते का हिस्सा है जो डीएमआरसी और एनकेडीएम एसोसिएशन के बीच किया गया था। एनकेडीएम विदेशी और बांग्लादेशी कंपनियों का एक समूह है जो बंगलादेश में ढाका मेट्रो रेल परिवहन सेवा परियोजना के क्रियान्वयन का काम देख रहा है और इसके तहत ढाका मेट्रो के 163 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिभागियों के जॉब प्रोफाइल के अनुसार पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि 24 दिनों से 156 दिनों तक अलग अलग होगी। प्रशिक्षण मॉड्यूल में विचार विमर्श कक्षा सत्र, प्रदर्शन, सिमुलेटर, व्यावहारिक, नौकरी संबंधित प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। ढाका मेट्रो जल्द ही पहली लाइन के उद्घाटन के साथ अपनी मेट्रो यात्रा शुरू करेगी, जिसे 'एमआरटी लाइन -6' के नाम से जाना जाएगा और इसकी लंबाई 20.1 किमी है। यह प्रमुख प्रशिक्षण कार्य न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रो रेल सेवा परिवहन के क्षेत्र में डीएमआरए की छवि को एक प्रमुख प्रशिक्षण गंतव्य के रूप में और बढ़ावा देगा। डीएमआरए ने इससे पहले एमआरटी जकार्ता और एलआरटी कोलंबो के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किए थे।

न्यूनतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस लुढ़का

नई दिल्ली (एसएनबी)। मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़ककर 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बुधवार को यहां का तापमान 32 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मौसम विभाग ने कल और परसों आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जतायी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सुबह और शाम के वक्त ठंडक बढने की भी संभावना जतायी है।

रविवार और सोमवार को हुई बारिश से दिल्ली के आसमान में छाया प्रदूषण बहुत हद तक कम हो गया। मंगलवार सुबह को भी यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'संतोषजनक' (59) श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार में एक्यूआई 'संतोषजनक' रहा और आईटीओ, दिल्ली, आरकेपुरम और पूसा में एक्यूआई 'अच्छी' श्रेणी में दर्ज किया गया।

- सुबह और शाम के तापमान में आएगी और गिरावट

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : यूनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

साहिबाबाद शाखा : द्वितीय मंजिल, प्लाट नं. ए-1, ब्लॉक-ए, श्याम पार्क, साहिबाबाद के पास, मेट्रो स्टेशन के समीप, [illegible] पसन्ना कॉलोनी, गाजियाबाद 201005, उत्तर प्रदेश

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

[illegible]

क्र.	ऋणकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिदाता(ओं) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	[illegible]	[illegible]	16-04-2021 & ₹ 4,67,895/-	15 10 2021

स्थान : साहिबाबाद
दिनांक : 20.10.2021

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नंबर : +91-11-23736857, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

गुड़गांव शाखा : [illegible] 122001 [illegible] www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 8(2) तथा परिशिष्ट 4 के अनुसार

ऋण खाता सं. : एचओयू/डीएल/0816/2/8912

[illegible]

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

[illegible]

www.pnbhousing.com

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : [illegible]

प्राधिकृत अधिकारी
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दाखिला कैंसिल किया तो स्पेशल कटऑफ में नहीं मिलेगा मौका

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विश्वविद्यालय की तीसरी कटऑफ लिस्ट के दाखिले के बाद कॉलेजों की स्पेशल कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट की खासियत यह होगी कि इसमें उन छात्रों को दाखिला का मौका नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने पहले से लेकर तीसरे किसी भी एक कटऑफ में दाखिला कैंसिल किया होगा।

डीयू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो राजीव गुप्ता ने बताया कि स्पेशल कटऑफ में केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला का मौका देंगे, जिनको पहले से लेकर तीसरी कटऑफ लिस्ट में किसी भी कटऑफ में किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला है, साथ यह स्पेशल कटऑफ जनरल और रिजर्व दोनों कोटे के छात्रों के लिए होगी। कॉलेज स्पेशल कटऑफ केवल सीट खाली होने पर ही जारी कर सकते हैं। स्पेशल कटऑफ में किसी भी छात्र को दाखिला कैंसल कर कॉलेज बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यदि किसी कॉलेज को अपनी स्पेशल कटऑफ निकालनी है तो वह उस कोर्स की आखिरी कटऑफ का पर्सेंटेज इसमें घोषित करेंगे। मसलन यदि किसी कॉलेज की बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में 98 फीसद कटऑफ पिछली कटऑफ में जारी की गई तो वही कटऑफ स्पेशल कटऑफ लिस्ट में जारी करनी होगी। स्पेशल कटऑफ लिस्ट में छात्र केवल एक कॉलेज व एक कोर्स में ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें कॉलेज और कोर्स बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। स्पेशल कटऑफ में आवेदन करने भर से दाखिले की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। डीयू ने यह भी साफ किया है कि स्पेशल कटऑफ लिस्ट में आवेदन करने या फीस देने से कोई छात्र रह जाता है तो इसको लेकर कोई भी शिकायत को नहीं देखा जाएगा।

- स्पेशल कटऑफ लिस्ट में जनरल और रिजर्व दोनों को मिलेगा मौका
- कॉलेज बदलने का भी मौका नहीं मिलेगा स्पेशल कटऑफ में

तीसरी कटऑफ के दूसरे दिन 1 लाख 52 हजार आवेदन : तीसरी कटऑफ लिस्ट के आवेदन के दूसरे दिन कॉलेजों में दाखिले के लिए मंगलवार तक कुल 1 लाख 52 हजार 979 आवेदन किए गए। दाखिला ब्रांच के अनुसार डीयू कॉलेजों में दाखिले को लेकर दूसरे दिन कुल 8 हजार 515 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। जबकि 48 हजार 461 छात्रों ने शाम 6 बजकर 28 मिनट तक अपनी फीस जमा कर दाखिला सुनिश्चित कर लिया। उल्लेखनीय है कि डीयू की तीसरी कटऑफ लिस्ट के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर रखी गई है। कॉलेज 22 अक्टूबर तक कॉलेजों में हुए आवेदन पर स्वीकृति की मुहर लगा सकते हैं। जबकि छात्रों द्वारा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रखी गई है।

दक्षिणी निगम में 'गिफ्ट ए ट्री' अभियान का शुभारंभ

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने हरसुख पार्क में मौलश्री का पौधा लगाकर दक्षिणी निगम के 'गिफ्ट ए ट्री' अभियान के ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने पौधरोपण से संबंधित प्रमाणपत्र एनजीटी अध्यक्ष को भेंट किया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त एए ताज़िर, उद्यान विभाग के निदेशक डॉ आलोक कुमार, मुख्य विधि अधिकारी अनिल कुमार शर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अभियान की सराहना करते हुए गोयल ने कहा कि निगम को इस प्रकार के पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम युद्धस्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। दक्षिणी निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि वृक्ष पृथ्वी का आभूषण है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पौधरोपण है। अपने जीवनकाल में एक वृक्ष 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है जिससे भूमंडलीय ऊष्मीकरण को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। पौधरोपण प्रकृति को सहेजने एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया जा सकने वाला सबसे सरल कार्य है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से दक्षिणी निगम के चुनिंदा पार्कों में पौधरोपण कर सकेंगे एवं उस पेड़ की देखभाल का संपूर्ण जिम्मा दक्षिणी निगम का होगा।

डीयू में नियुक्ति के लिए लिंक न मिलने से कई आवेदक चूके

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए निकाली गई सहायक प्राध्यापकों की स्थायी नियुक्ति के आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन अब तक इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई शिक्षकों को लिंक न मिलने से वे आवेदन करने से चूक गए हैं। इससे देश भर के विभिन्न विषयों के अभ्यर्थी बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में शिक्षक संगठन इंटेक से विद्वत परिषद सदस्य प्रो. मेघ राज ने कुलपति व रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है।

- अंतिम तिथि आज
- इंटेक ने कुलपति और रजिस्ट्रार को लिखा पत्र
- आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने व लिंक उपलब्ध करने की मांग

प्रो.मेघराज ने कहा कि ऐसे में जब देश भर में नौकरियों का भारी संकट है तब डीयू का विज्ञापन एक डूबते को तिनके का सहारा साबित होता है। लेकिन बुधवार को आवेदन की आखिरी तारीख है और इसकी सुध प्रशासन को नहीं कि आवेदन के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है।

प्रो. मेघराज ने डीयू से मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार साल 2023 से पीएचडी अनिवार्यता की शर्त लागू की गई है, लेकिन इस विज्ञापन के अनुसार इसमें पीएचडी की कोई छूट नहीं दी गई जो कि आयोग की अवहेलना है। साथ ही इंटेक की मांग है कि इस विज्ञापन को पुनः विज्ञापित कर इसमें अनुदान आयोग द्वारा दी गई सारी गाइडलाइनों का पालन किया जाए। इसमें पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर इस विज्ञापन की आवेदन तिथि को पुनः निर्धारित कर आवेदकों के लिए आवेदन लिंक की सुविधा दी जाए।

तकनीकी आधार पर न बढ़ाई जाए कैदी की हिरासत : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विचाराधीन कैदी की न्यायिक हिरासत तकनीकी तौर पर नहीं बढ़ाई जाए। उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने से पहले कानून के प्रावधानों को पालन किया जाए। साथ ही उसे अपने अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर उसके डिफाल्ट जमानत लेने के अधिकार का हनन नहीं होना भी सुनिश्चित किया जाए।

- कैदी की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने से पहले पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए : कोर्ट

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि किसी कैदी की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने से पहले पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए। तकनीकी आधार पर उसकी हिरासत 15 दिनों के लिए नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने एवं आरोप पत्र दाखिल किए जाने की समय निर्धारित है जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैदी की हिरासत भी उसी तारीख तक के लिए बढ़ाई जाए जबतक के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाए। अगर निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है तो उसे डिफाल्ट जमानत लेने के उसके मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए।

न्यायमूर्ति ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वे हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए तैनात सरकारी अधिवक्ता व विधिक सहायता परामर्शदाताओं से कैदी को डिफाल्ट जमानत के बारे में बताने को कहे। वे कैदी इस तरह का जमानत कब से लेने का हकदार है, उसके बारे में जानकारी दे। उसी तरह का काम जेल अधिकारी भी करें। कोर्ट ने यह आदेश एक विचाराधीन कैदी की याचिका पर दिया है। कैदी ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसके डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने उस कैदी को 25 हजार रुपए के जमानती तथा उतनी ही राशि के एक निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

सड़क धंसी है, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग पर जाने से बचें : पुलिस

नई दिल्ली (एसएनबी)। बारिश के चलते पश्चिमी दिल्ली में स्थित प्रोफेसर जोगिंदर सिंह मार्ग की सड़क धंसने के कारण बंद कर दिया गया। इस बाबत मंगलवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि प्रो. जोगिन्दर सिंह मार्ग को सड़क के धंस जाने के कारण दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। कृपया आने-जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग न करें। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे के बीच 87.9 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलजमाव हुआ है।